

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)57 पार्ट-3/संस्था/बीमा/2018/

दिनांक : 26/11/18

आदेश 481

कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क-2/2014/पार्ट दिनांक 28.08.2018 द्वारा राज्य सेवा में पदोन्नति करने हेतु अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्त पर्यवेक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता सूची का निर्धारण किये जाने के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक 280 दिनांक 27.07.2018 द्वारा विभाग में नियमित रूप से चयनित/कार्यरत गैर अनुसूचित क्षेत्र के पर्यवेक्षकों की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची में अनुसूचित क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के नाम शामिल किये जाकर निम्नानुसार पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	अजा/अजजा	चयन वर्ष	पदस्थापन स्थान	वरिष्ठता सूची में क्रमांक
1.	श्री देवीलाल लुहार	-	2014-15	बांसवाडा	क्रम संख्या 14 पर अंकित श्री मदनलाल सुथार के नीचे एवं क्रम संख्या 15 पर अंकित श्री प्रेम प्रकाश जोशी के ऊपर
2.	श्री मुकेश कुमार भट्ट	-	2014-15	डूंगरपुर	क्रम संख्या 17 पर अंकित श्री चिन्तामणी चपोरकर के नीचे एवं क्रम संख्या 18 पर अंकित श्री नारायण दास सेवकानी के ऊपर

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)57 पार्ट-3/संस्था/बीमा/2018/ 10699-10748 दिनांक : 26/11/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर/साधारण बीमा योजना/संभागीय कार्यालय/जिला कार्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त वरिष्ठता सूची की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करने का श्रम करें।
3. संयुक्त निदेशक (संस्थापन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. सिस्टम्स एनालिस्ट/उप निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त वरिष्ठता सूची को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें ताकि सम्बन्धित कर्मचारी उपरोक्त वरिष्ठता सूची डाउनलोड कर सकें।
5. वरिष्ठता निर्धारक/केडर स्ट्रेथ लिपिक
6. नोटस बोर्ड मुख्यालय/जिला कार्यालय
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (संस्थापन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।